

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
26, किसान भवन, अरेरा हिल्स, जेल रोड, भोपाल

क./बोर्ड/यो./गै.त./लो.से.गा/68/20-21/456

भोपाल,दिनांक 06/01/2021

प्रति,

संयुक्त संचालक/उप संचालक  
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड,  
आंचलिक कार्यालय-भोपाल, इन्दौर, उज्जैन, ग्वालियर,  
सागर, जबलपुर,रीवा, (म.प्र.)

विषय :- राज्य शासन की "लोक सेवा गारन्टी अधिनियम 2010" के पोर्टल पर लंबित प्रकरणों के निराकरण के संबंध में।

000

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रदेश की कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा लोक सेवा गारन्टी अधिनियम के तहत मण्डी के व्यापारियों/हम्माल/तुलावटियों की ऑन लाइन अनुज्ञप्ति निर्धारित समय-सीमा में स्वीकृत की जाना होती है।

आपके अंचल की कृषि उपज मण्डियों में पोर्टल पर ऑन लाईन अनुज्ञप्ति स्वीकृति की जानकारी संलग्न प्रपत्र में पाक्षिक रूप से मुख्यालय की योजना शाखा को अनिवार्यतः उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें। ~~अपने अधीनस्थ सचिवों को अवगत करायें।~~  
संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

संयुक्त संचालक (योजना)  
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल.

भोपाल,दिनांक 06/01/2021

क./बोर्ड/यो./गै.त./लो.से.गा/68/20-21/457  
प्रतिलिपि:-

सचिव कृषि उपज मण्डी समिति.....(समस्त) की ओर लेख है कि लोकसेवा गारन्टी पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों के निराकरण की जानकारी पाक्षिक रूप से आंचलिक कार्यालय को भिजवाई जाना सुनिश्चित करें।

संयुक्त संचालक (योजना)  
म0प्र0राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
भोपाल.



लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के अंतर्गत पोर्टल पर प्राप्त आवेदनों की जानकारी माह.....

क.	मण्डी का नाम	माह में अनुज्ञप्ति स्वीकृति हेतु ऑन लाईन व्यापारी/हम्माल/तुलावटी से प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	निराकृत आवेदनों की संख्या	लंबित आवेदन		योग	लंबित रहने का कारण	रिमार्क
				समय -सीमा में	समय सीमा के बाहर			
1	2	3	4	5	6	7 (5+6)	8	9

संयुक्त संचालक/उपसंचालक  
मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड  
आंचलिक कार्यालय.....